**उत्तर प्रदेश शासन**
**लोक निर्माण अनुभाग-14**
**संख्या-107/2025/आई/1015983/257/23-14002(002)/4/2025**
**लखनऊः दिनांक- 07 जुलाई, 2025**

**शुद्धि-पत्र**

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-104/2025/आई/1012389/2025/001-23-14002(002)/4/2025-4, दिनांक 03.07.2025 द्वारा विभिन्न जनपदों के कुल 64 चालू कार्यो हेतु कुल रू0 1542.38 लाख की धनावंटन सम्बन्धी स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2025 में अंकित तालिका के क्रमांक-30/31 पर अंकित 02 कार्यो हेतु कुल रू0 29.00 (16.00+13.00) लाख की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-101/2025/आई/1009549/2025/001-23-14002(099)/6/2025, दिनांक 30.06.2025 द्वारा रू0 29.00 लाख की स्वीकृति 81 कार्यो के साथ पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है। अतएव शासनादेश दिनांक 03.07.2025 द्वारा जनपद खीरी के उक्त 02 कार्यो हेतु निर्गत धनावंटन सम्बन्धी स्वीकृति निरस्त समझी जाय। शासनादेश दिनांक 03.07.2025 का शेष अंश यथावत रहेगा।

**रवि शंकर मिश्र**
**संयुक्त सचिव।**

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन ।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।